

27 मई, 2022

कार्यकारी आदेश 2022-13

**कार्यकारी आदेश 2022-13**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 106)**

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 3,280,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 33,700 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, चूंकि इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है, वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, महामारी के दौरान कई संस्करण (वेरिएंट) सामने आए हैं, जिनमें प्रत्येक अलग-अलग संचरण क्षमता वाले और गंभीरता वाले शामिल हैं; और,

**जबकि**, इस महामारी में भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है, और महामारी को रोकने वाले प्रमाणित कार्य जैसे कि सामाजिक दूरी, चेहरे को ढकना और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियाँ COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई हैं; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने K-12 सेटिंग्स सहित यूनिवर्सल इनडोर मास्किंग के लिए अपनी सिफारिश को हटाने के लिए 25 फरवरी, 2022 को संशोधित मार्गदर्शन जारी किया है; और,

**जबकि**, उस मार्गदर्शन ने COVID-19 से ग्रस्त अस्पताल में दाखिले, इन-पेशेंट बेड की उपलब्धता और COVID-19 मामलों की संख्या के आधार पर सामुदायिक COVID-19 स्तरों का आंकलन के लिए एक ढांचा प्रदान किया है; और,

**जबकि**, अब CDC का मार्गदर्शन केवल उन समुदायों में यूनिवर्सल मास्किंग की सिफारिश करता है जिनमें COVID-19 का स्तर अधिक है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

**जबकि**, राज्य के आदेश के बिना भी, K-12 स्कूल, बाल देखभाल सुविधाएँ, और अन्य सेटिंग्स सामुदायिक COVID-19 स्तर और सेटिंग की अन्य विशेषताओं के आधार पर लोगों द्वारा फेस मास्क पहनने की आवश्यकता का चयन कर सकती हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवासी, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक टीका प्राप्त नहीं कर सके हैं; तथा,

**जबकि**, कुछ नियोक्ताओं ने सामूहिक सौदेबाजी (बर्गानिंग) समझौतों को दर्ज किया है, जिसके लिए अन्य कम करने के उपायों के अलावा, व्यक्तियों को कुछ सेटिंग्स में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता होती है; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि जब सामुदायिक COVID-19 संक्रमण का स्तर अधिक होता है, तो जो व्यक्ति प्रतिरक्षित हैं या गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम पर हैं, वे सार्वजनिक रूप से घर के अंदर अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क को पहनने पर विचार करें; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट वाले लोग, या COVID-19 संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहनें; और,

**जबकि**, व्यक्ति स्वयं को या अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार के विरुद्ध संरक्षित करने के लिए मास्क पहन सकते हैं; और

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 टीकाकरण के मामले में अप-टू-डेट नहीं हैं, या जो COVID-19 संक्रमण के 90 दिनों के भीतर हैं, वे COVID-19 से संपर्क के बाद कम-से-कम 5 दिनों के लिए घर पर ही रहते हुए संगरोध (कॉरंटीन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 की जाँच में पॉज़िटिव आए है, वे परीक्षण में पॉज़िटिव आने के बाद कम-से-कम 5 दिनों तक घर पर ही रहते हुए पृथकवास (आइसोलेशन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि यदि विद्यार्थियों, अध्यापकों, और कर्मियों में किसी भी संक्रामक रोग, जिसमें COVID-19 शामिल है, के संकेत हों तो वे घर पर ही रहें; और,

**जबकि**, स्कूलों को CDC मार्गदर्शन की अनुरूपता में यह ज्ञात/निर्धारित करने के लिए अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभागों का सहयोग जारी रखना चाहिए कि COVID-19 के परीक्षण में पॉज़िटिव आए या इसके संपर्क में आए सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ को स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस की प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, 33,700 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

**जबकि**, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; और,

**जबकि**, मई 27, 2022 को, कोविड-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में, जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे, उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-12, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-30, 2020-50, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, 2022-06, और 2022-11, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूं;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 27 मई, 2022 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

### **भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी करना।**

सरकारी आदेश 2020-09, 2020-12, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-30, 2020-50, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, 2022-06 और 2022-11 को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

#### **कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्प)):**

कार्यकारी आदेश 2020-09 का अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित है, को पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच):**

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभाग 1 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-20 (लोक सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):**

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयां):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्युमन सर्वसिज फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम):**

कार्यकारी आदेश 2020-24 के अनुभाग 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):**

कार्यकारी आदेश 2020-26 का अनुभाग 6, 7, 8, 9, और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2022-04 द्वारा संशोधित है, को पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत (एक्सपायर) हो चुके द्रूतावासीय (कौसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):**

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभाग 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):**

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):**

कार्यकारी आदेश 2021-12 को जैसा कि कार्यकारी आदेश 2022-12 द्वारा संशोधित किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):**

कार्यकारी आदेश 2021-19, कार्यकारी आदेश 2022-06, और कार्यकारी आदेश 2022-10 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **जून 25, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और टेस्टिंग आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-23, कार्यकारी आदेश 2021-27, और कार्यकारी आदेश 2022-01 और कार्यकारी आदेश 2022-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-22 के अनुभाग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को फिर से जारी किया जाता है और **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-28 (डे केयर टीकाकरण और टेस्टिंग आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-28 को जैसा कि कार्यकारी आदेश 2021-30 द्वारा संशोधित किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-31 (सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं का निलंबन):**

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2022-06 (चेहरा ढांकने की आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2022-06 को जैसा कि कार्यकारी आदेश 2022-11 द्वारा संशोधित किया गया है, को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2022-11 (चेहरा ढांकने की आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2022-11 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **25 जून, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)**। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्जकर, राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 27 मई, 2022 को जारी किया गया  
राज्य सचिव द्वारा 27 मई, 2022 को दायर